fo'ks"k çf'k{k.k dsUæ xSj vkoklh;

ç;kl

¼la'kksf/kr ekxZnf'kZdk&2013&14½

fcgkj f'k{kk ifj;kstuk ifj"kn~] f'k{kk Hkou lSniqj] iVukA

fo'k"k izf'k{k.k dsUnz ¼xSjvkoklh;½ iz;kl dsUnz dh la'kksf/kr ekxZnf'kZdk

1. संविधान की धारा 21 A के तहत् प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। इसी उद्देश्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया।

2. इस कानून के अन्तर्गत 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का जिम्मेदारी सरकार की है।

3. इस कानून के तहत् विद्यालय से बाहर के बच्चों के संबंध में यह कहा गया है कि यदि कोई बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष से अधिक हो गई है और उसका नामांकन विद्यालय में नहीं कराया गया है या छीजित है, उसका नामांकन उसकी उम्र सापेक्ष कक्षा में कराया जाएगा और वह बच्चा अपनी कक्षा में नामांकित अन्य बच्चों से पिछड़े नहीं इस हेतु उसके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

4. विशेष प्रशिक्षण के तहत् गैरआवासीय एवं आवासीय प्रशिक्षण की परिकल्पना की गयी है। गैरआवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था वैसे बच्चों के लिए है, जिससे कम अवधि में ही उम्र एवं वर्ग सापेक्ष दक्षता विकसित की जा सकती है। इन बच्चों के लिए प्रथम हस्तक्षेप गैरआवासीय विशेष प्रशिक्षण जिनकी अवधि 6 से 9 माह आवश्यकतानुसार तय की गयी है। इस प्रशिक्षण केन्द्र के बच्चों की आयु 6 वर्ष 6 माह (बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के भाग 4 कंडिका 10 के अनुसार) से अधिक और 14 वर्ष तक की होगी। विद्यालय से बाहर के इन बच्चों को उम्र सापेक्ष कक्षा में नामांकन निम्नवत्त कराया जा सकता है :

आयुवर्ग	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–14
नामांकन	कक्षा -I	कक्षा -II	कक्षा -III	कक्षा -IV	कक्षा -V	कक्षा -VI

fo'k"k izf'k{k.k dsUnz ¼xSjvkoklh;½ dsUnz dk y{; lewg&

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली–2011 के आलोक में 6–14 आयुवर्ग के विद्यालय से बाहर के सभी चिन्हित बच्चे।

fo'k"k izf'k{k.k dsUnz ¼xSjvkoklh;½ dk lapkyu

पहुँच एवं विशेष प्रशिक्षण के अन्तर्गत एक विशेष हस्तक्षेप है, जिसके माध्यम से विद्यालय से बाहर के लक्ष्य समूह के सभी चिन्हित बालक/बालिका को उम्र सापेक्ष कक्षा में नामांकन कराकर विशेष प्रशिक्षण स्थल (विद्यालय परिसर में) पर उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए निर्धारित अवधि (छः माह/नौ माह) के अंदर भाषा एवं गणित सहित अन्य विषयों की सामान्य दक्षता विकसित कर प्रारंभिक कक्षा की दक्षता उपलब्ध करायी जानी है।

I. विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (गैर आवासीय) वैसे सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में चलाया जा सकता है जिसके पड़ोस में विद्यालय से बाहर के अनामांकित एवं छिजित बच्चे हो और जिनका सूचीकरण पूर्व में हो गया हो।

II. विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (गैर आवासीय) का संचालन विद्यालय में, उसी विद्यालय के एक योग्य एवं अनुभवी शिक्षक द्वारा ही किया जायेगा जिसमें लक्ष्य समूह के बालक/बालिकाओं की संख्या 10 तक हो। ऐसे केन्द्र के लिए शिक्षक को प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक नामित करेंगे। विवाद की स्थिति में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे।

III. यदि लक्ष्य समूह के बालक/बालिकाओं की संख्या 10 से अधिक हो और विद्यालय में छात्र–शिक्षक अनुपात 50 : 1 से अधिक हो तो विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (गैर आवासीय) संचालन शिक्षा स्वयंसेवक के माध्यम से किया जा सकता है।

IV. केन्द्र की समयावधि विद्यालय की समयावधि के बराबर होगी। इस समयावधि के अन्दर ही शिक्षक ऐसे बच्चों से आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर उन्हें एकत्र कर विशेष प्रशिक्षण देंगे।

V. केन्द्र पर आच्छादित सभी बच्चों को विद्यालय के अन्य बच्चों की तरह विद्यालय द्वारा दिया जानेवाला सभी लाभ देय होगा।

VI. केन्द्र की सफलता का मापदंड नामांकित बच्चों के भाषा एवं गणित एवं अन्य विषयों में प्रदर्शन होगा।

VII. केन्द्र सामान्यतः लक्ष्य समूह के बालक/बालिका को लेकर संचालित होगा।

VIII. केन्द्र संचालन के लिए मार्गदर्शिका में निर्धारित आवश्यक सामग्री तथा बच्चों को पठ्न–पाठ्न की सभी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जबावदेही संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक की होगी। सामग्री के उपलब्धता के पश्चात ही केन्द्र संचालित माना जाएगा।

dUn dh vof/k%&

I. गैरआवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र की अवधि आवश्यकतानुसार 6 माह या 9 माह होगी। किसी भी परिस्थिति में यह अवधि छात्र विशेष के लिए दो वर्षों से अधिक नहीं होगी।

II. अवधि का निर्धारण चिन्हित बच्चों के दक्षता स्तर के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

III. निर्धारित अवधि की समाप्ति के उपरांत सभी बच्चों की दक्षता का मूल्यांकन अनिवार्य होगा।

IV. मूल्यांकन के उपरान्त ही बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा जायेगा। इस मूल्यांकन का अभिलेख संरक्षित रखा जायेगा। इसकी जबावदेही व्यक्तिगत तौर पर प्रधानाध्यापक की होगी।

V. संबंधित विद्यालय में सभी बच्चों को दक्षता अनुरूप नामांकित कक्षा में नियमित उपस्थिति विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी । संबंधित प्रधानाध्यापक इसका सतत् अनुश्रवण करेंगे ताकि बच्चे पुनः छिजित नहीं हो।

fo|ky; Lrj ij fd, tku oky dk;%&

I. लक्ष्य समूह के 8–14 आयुवर्ग के विद्यालय से बाहर के अनामांकित एवं छिजित बच्चों को प्रपत्र (क) में सूचीबद्ध करना तदुपरांत इस सूची को संबंधित संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के माध्यम से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक को देना।

II. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सही चिन्हित बच्चों की सूची जिला कार्यालय को प्रेषित करना।

III. विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में सूचीबद्ध बच्चों के अभिभावकों की बैठक विद्यालय में आयोजित करना एवं केन्द्र संचालन हेतु विशेष शिक्षक के चयन के संबंध में निर्णय लेना।

IV. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक इस कार्य का विशेष अनुश्रवण करेंगे।

V. प्रशिक्षण केन्द्र संचालन के संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक की कार्यवाही आवश्यक रूप से दर्ज की जाएगी। बैठक की कार्यवाही के बिना केन्द्र अवैध माने जाएगें।

VI. विद्यालय प्रबंधन समिति अपने पड़ोस के क्षेत्र में पड़नेवाले सभी बच्चों पर नजर रखेगी कि वे बच्चे मानव व्यापार (Child Treficing) के शिकार नहीं हों।

ldy Lrj ij fd;s tku oky dk;%&

I. संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक अपने संकुलाधीन सभी विद्यालयों से लक्ष्य समूह के बच्चों की सूची प्राप्त करेंगे।

II. प्राप्त सूची को समेकित कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रखंड संसाधन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे।

i[kM Lrj ij fd;s tkus okys dk;Z&

I. विद्यालय से प्राप्त विशेष प्रशिक्षण (गैर आवासीय) हेतु बच्चों की सूची एवं प्रस्ताव को संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक से i[kM f'k{kk inkf/kdkjh प्राप्त करेंगे ,o i[kM f'k{kk inkf/kdkjh उक्त विशेष प्रशिक्षण (गैर आवासीय) केन्द्र हेतु बच्चों की सूची एवं प्रस्ताव को एक सप्ताह के अंदर नमूने तौर पर Randomly जाँचोपरांत सत्यापित कर जिला कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

II. जिला कार्यालय से विशेष प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर निदेशानुसार (निर्धारित तिथि के अंदर) विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित कराएँगे।

III. जिला द्वारा केन्द्र संचालन के पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक एवं चिन्हित विशेष शिक्षक का विशेष प्रशिक्षण (गैर आवासीय) के संचालन से संबंधित एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्याशाला का आयोजन करेंगे। इसके उपरान्त विशेष प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा।

IV. यदि विशेष प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन स्वयंसेवकों के माध्यम से किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा स्वयंसेवकों के विशेष प्रशिक्षण के उपरान्त ही केन्द्र संचालित किया जा सकेगा।

V. विशेष प्रशिक्षण केन्द्र के निर्वाध संचालन अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन की जिम्मेवारी प्रखंड स्तर पर प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

VI. केन्द्र संचालन में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न होने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्वयं के स्तर से पहल करते हुए यथाशीघ्र समाधान सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर जिला स्तरीय कार्यालय से सहयोग अथवा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

VII. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का यह विशेष कर्त्तव्य होगा कि Child Treficing से अपने प्रखंड के बच्चों को बचायें। वे अपने प्रखंड में ऐसी गतिविधियों पर नजर रखें जिसमें बच्चे बालश्रम से जुड़ते हैं। इस तरह के कार्य से जुड़े बच्चे मानव व्यापार (Child Treficing) के शिकार आसानी से हो जाते हैं।

ftyk Lrj ij fd, tkus okys dk;Z&

प्रखंड़ो से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान) द्वारा जिला स्तर पर प्रखंडवार लक्ष्य समूह के विश्लेषण कर विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (गैरआवासीय) की स्वीकृति जिला कार्यकारिणी से लेंगे।

I. गैरआवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आलोक में किया जाएगा।

II. प्रखंडवार एवं विद्यालयवार केन्द्र की संख्या तय कर लिए जाने के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा केन्द्र प्रारंभ करने का निदेश सभी संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दी जाएगी।

III. जिला स्तर से की जाने वाली सभी कार्यवाही वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट स्वीकृति या अनुमोदनोपरांत एक माह के अंदर निश्चित रूप से कर दी जाएगी, अन्यथा इसके लिए वे स्वयं कार्य विलंब करने के दोषी माने जाएँगे।

dsUnz lapkyu LFky %

fo'ks"k izf'k{k.k dsUnz ¼xSjvkoklh;½ dk lapkyu fo|ky; esa gksxkA

fo'ks"k f'k{kd@f'k{kk Lo;alsod dk p;u

- विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से शिक्षा स्वयंसेवक के चयन हेतु सूचना निकाली जायेगी जिसमें पडोस के योग्य अभ्यार्थियों से एक निर्धारित तिथि (जो सूचना निकाले जाने के एक सप्ताह से कम की नहीं होगी) तक आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।
- इसका प्रचार–प्रसार स्थानीय स्तर पर किया जायेगा।
- शिक्षा स्वयंसेवक के चयन के लिये निकाली गयी सूचना को विद्यालय के पडोस के हर सार्वजनिक स्थल पर चिपकाया जायेगा।
- स्वयंसेवक के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता का वर्णन भी सूचना में अवश्य अंकित किया जायेगा।
- विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (गैरआवासीय) प्रयास के सफल संचालन में शिक्षा स्वयंसेवक की केन्द्रीय भूमिका होगी, इसलिए इनके चयन में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा कि सर्वथा उचित एवं जागरूक व्यक्ति का ही चयन किया जाए।
- शिक्षा स्वयंसेवक की सेवा एक नौकरी पेशा व्यक्ति की नहीं होगी, बल्कि सामाजिक दायित्व के सफल निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति की होगी।
- सूचना जारी होने के एक सप्ताह तक अभ्यर्थी अपना आवेदन विद्यालय के प्रधानाध्यापक ⁄ प्रधान शिक्षक को देंगे।
- विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने की विशेष व्यवस्था की जायेगी एवं आवेदन कर्त्ता को प्राप्ति रसीद अवश्य दिया जायेगा।
- आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर एक निर्धारित तिथि को सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच एक ikap lnL;h; lfefr] ftlesa fo|ky; f'k{kk lfefr ds lfpo] v/;{k] ladqy lalk/ku dsUnz leUo;d] fo|ky; ds ojh;re f'k{kd ,oa iz/kkuk/;kid होंगे, के द्वारा की जायेगी।
- समिति निकाली गयी सूचना के अनुरूप योग्य अभ्यथियों के आवेदन पत्रों को छाँटेगी। योग्य एवं अयोग्य घोषित अभ्यर्थी की सूची विद्यालय के पटल पर प्रकाशित की जायेगी जिसमें अयोग्य घोषित आवेदन पत्रों के अयोग्य घोषित किये जाने के कारण भी अंकित रहेगा।
- योग्य अभ्यर्थियों को एक निश्चित तिथि को पाँच सदस्यीय समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार के बाद समिति योग्य अभ्यर्थियों में से किसी एक को शिक्षा स्वयंसेवक के रूप में चयन किया जायेगा।
- p;fur O;fDr dks Lo;alsod ds :Ik esa dk;Z djus ds fy;s fo|ky; f'k{kk lfefr ds v/;{k ,oa iz/kkuk/;kid ds la;qDr gLrk{kj ls p;u i= izi= Þxß esa fn;k tk;sxkA
- चयन पत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसमें एक प्रति शिक्षा स्वयंसेवक को दी जायेगी, एक प्रति विद्यालय में रखी जायेगी तथा एक प्रति जिला को भेजी जायेगी।
- शिक्षा स्वयंसेवक के चयन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखा जायेगा एवं इसकी कार्यवाही एक अलग पंजी में संधारित की जायेगी। कार्यवाही में पाँचो सदस्यों का हस्ताक्षर अवश्य रहेगा।

- पूरी निर्धारित प्रक्रिया अपनाये बिना शिक्षा स्वयंसेवक का किया गया चयन मान्य नहीं होगा। गलत चयन के आधार पर संचालित केन्द्र पर किया गया व्यय विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक से वसूले जायेंगे।
- शिक्षा स्वयंसेवक का चयन मात्र केंद्र के पूर्व निर्धारित अवधि (6 या 9 माह)के लिये किया जायेगा।
- केंद्र की निर्धारित अवधि पूरी होनें के उपरांत शिक्षा स्वयंसेवक स्वतः कार्य मुक्त हो जायेंगे। नियोजन को निरंतर करने का, किसी अन्य योजना में इस आधार पर समायोजन का, किसी सरकारी नौकरी हेतु इस आधार पर दावा मान्य नहीं होगा।
- शिक्षा स्वयंसेवक के कार्य से असंतुष्ट होने की स्थिति में निर्धारित अवधि के अंदर कभी भी उसे कार्य मुक्त करने के लिए चयन समिति के पास अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
- शिक्षा स्वयंसेवकों के कार्यमुक्त किये जाने तथा नये शिक्षा स्वयंसेवक के चयन से संबंधित सूचना चयन पत्र के साथ जिला कार्यालय को उपलब्ध करायी जयेगी।
- शिक्षा स्वयंसेवक का चयन कर लिये जाने के साथ ही इसकी सूचना केन्द्रवार स्वयंसेवक का नाम सहमति पत्र की प्रति के साथ संबंधित संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण आयोजित करने के आग्रह के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) को दी जायेगी।
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करने का आग्रह प्राप्त होने के साथ पहुँच एवं विशेष प्रशिक्षण के जिला समन्वयक के द्वारा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये प्रशिक्षक तय किये जायेंगे एवं उन्हें प्रशिक्षण देने के लिये भेजा जायेगा।
- पहुँच एवं विशेष प्रशिक्षण के जिला समन्वयक चाहे तो स्वयंसेवकों के नियोजन की प्रक्रिया को स्वयं के स्तर से संतुष्ट हो सकते है।

f'k{kk Lo;a lsod dh vgrk

- शिक्षा स्वयंसेवक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमिडिएट होगी,
- शिक्षा स्वयंसेवक की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी,
- उच्च योग्यताधारी या इस क्षेत्र में किये गये कार्य के पूर्व अनुभव वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

f'k{kd@ f'k{kk Lo;a lsod dk if'k{k.k

- चयनोपरान्त शिक्षक/शिक्षा स्वयंसेवक को प्रथम चरण में अनिवार्यतः 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। केन्द्र प्रारंभ होने के एक माह के अन्दर विशेष प्रशिक्षण केन्द्र के शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। अगर शिक्षा स्वयंसेवकों का चयन किया जाता है तो केन्द्र संचालन के पूर्व ही शिक्षा स्वयसेवकों का 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कराना अनिवार्य होगा। केन्द्र संचालन के 90 दिन के उपरान्त पुनः 5 दिन का आवासीय प्रशिक्षण कराना होगा।
- प्रशिक्षण तैयार 'प्रशिक्षण मॉड्यूल' पर आधारित होगा।
- शिक्षा स्वयंसेवक के प्रशिक्षण में संबंधित विद्यालय के संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक को भी आवश्यकतानुसार शामिल किया जा सकता है।
- प्रशिक्षण निर्धारित समय पर आयोजित करने की जवाबदेही वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा समन्वयक/ पहुँच एवं विशेष प्रशिक्षण के जिला समन्वयक की होगी।
- शिक्षा स्वयंसेवक के प्रशिक्षण में प्रत्येक स्वयंसेवक को विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (गैरआवासीय) प्रयास हेतु प्रयास पुस्तक एवं प्रयास केन्द्र मार्गदर्शिका की प्रति अवश्य दी जायेगी।

f'k{kd@ f'k{kk Lo;a lsod d dk;a

- विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (गैरआवासीय) में नामांकित बच्चों की प्रति दिन की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

- केन्द्र के बच्चों के लिये निर्धारित दक्षता को निर्धारित समय में पूरा कराना।
- बच्चों के उपलब्धि–स्तर से विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों को अवगत कराना।
- ''प्रयास केन्द्र'' में नामांकित प्रत्येक बच्चे का भाषा एवं गणित एवं अन्य विषयों की साप्ताहिक प्रगति पत्रक i.i= Þ?kß में तैयार करना, जो केन्द्र पर प्रदर्शित रहेगा।
- केन्द्र के प्रत्येक बच्चे का चाइल्ड प्रोफाइल चार्ट i.i= Þpß में तैयार करना, जो केन्द्र पर प्रदर्शित रहेगा।
- बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना एवं विद्यालय में बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना।

dUn dk ikjEHk

शिक्षा स्वयंसेवक के चयन एवं उनके प्रशिक्षण के दौरान ही केन्द्र के लिए निर्धारित शिक्षण अधिगम उपकरण एवं बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री का क्रय शिक्षा स्वयंसेवक के चयन के लिये गठित पाँच सदस्यीय समिति के द्वारा कर लिया जायेगा।

केन्द्र का उद्घाटन समारोहपूर्वक विद्यालय के सभी शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों, बसाव क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जायेगा।

केन्द्र उद्घाटन की जवाबदेही मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक की होगी।

उद्घाटन की तिथि को केन्द्र पर सभी आवश्यक सामग्री यथा सभी शिक्षण अधिगम उपकरण, बच्चों के लिए निर्धारित शिक्षण अधिगम सामग्री यथा– पुस्तक, कार्य पुस्तिका, स्लेट, पेन्सिल, रबर, कटर, कार्बन–पेन्सिल आदि उपलब्ध रहेगा।

बच्चों के शिक्षण अधिगम सामग्री का वितरण उद्घाटन तिथि को बच्चों के बीच सुनिश्चित किया जायेगा।

उद्घाटन की तिथि से केन्द्र विधिवत संचालित माना जायेगा एवं शिक्षा स्वयंसेवक उक्त तिथि से मानदेय प्राप्त करने का हकदार होगा।

dUn d iR;d cPp dk f'k{k.k vf/kxe lkexhd :Ik e fuEu lkexh vo'; nh tk;xh &

- स्लेट कम से कम दो, लेकिन एकबार में केवल एक एवं दूसरा यदि बच्चा इसे फोड़ देता है।
- प्रयास सेतु पाठ्य पुस्तक भाग 1/2/3 (आवश्यकतानुसार) – भाषा एवं गणित, अभ्यास पुस्तिका के साथ।
- भाषा(अंग्रेजी/हिन्दी) एवं गणित की ए4 साईज की एक जिस्ता की एक एक कॉपी प्रति माह। अंग्रेजी लेखन के लिये चार लाइन की कॉपी एवं हिन्दी लेखन के लिए दो लाइन की कॉपी
- प्रति माह एक पेंसिल एक कटर एवं एक रबर ।
- एक पेंटिग बॉक्स एवं प्रति माह कुल 12 पेंटिंग के लिये चार्ट पेपर जो आवश्यकता के अनुसार पेंटिंग के समय बच्चों को स्वयंसेवक के द्वारा दिये जायेंगे।

f'k{k.k vf/kxe midj.k d :Ik e dUn ij fuEu lkefx;k dk Ø; vo'; fd;k tk;xk &

- श्यामपट (पोर्टेबल) यदि केन्द्र पर उपलब्ध नहीं हो तब।
- शिक्षक एवं छात्र उपस्थिति पंजी।
- बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टी।
- केन्द्र की सामग्री रखने हेतु बक्सा।

- पठन–पाठन हेतु चार्ट्स एवं अन्य सहायक सामग्री।
- छात्रों के लिए स्कूल बैग।
- प्रमाणपत्र तैयार करने का व्यय।

dUn dk 'kf{kd ic/ku

lpkyu dh le; rkfydk

विद्यालय में केन्द्र संचालन होने की स्थिति में विद्यालय समय सारणी के अनुसार केन्द्र संचालित होगा।

- केन्द्र पर रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर कोई अवकाश स्वयंसेवक को देय नहीं होगा।

dUæ dh nfud dk;l ;ktuk

चेतना सत्र : विद्यालय के अनुसार तथा विद्यालय के बच्चों के साथ

खेल भाषा शिक्षण आधारित : 30 मि0

भाषा : 1.00 घंटा – पाठ्यवस्तु का अध्ययन–अध्यापन एवं संबंधित गतिविधियाँ –

* पाठ्यवस्तु का अभ्यास
* कार्य–पुस्तिका पर कार्य
* भाषा नोट बुक पर लेखन
* बच्चे का मूल्यांकन

खेल गणित शिक्षण आधारित : 30 मि0

गणित : 1.00 घंटा – पाठ्यवस्तु का अध्ययन–अध्यापन एवं संबंधित

गतिविधियाँ –

* पाठ्य–वस्तु से संबंधित अभ्यास
* कार्य–पुस्तिका पर कार्य
* गणित नोट बुक पर लेखन
* बच्चे का मूल्यांकन

अंग्रजी शिक्षण खेल/गतिविधि के माध्यम से : 30 मि0

अंग्रेजी : 1.00 घंटा – पाठ्य–वस्तु का अध्ययन–अध्यापन एवं संबंधित गतिविधियाँ

* पाठ्य–वस्तु से संबंधित अभ्यास
* कार्य पुस्तिका पर कार्य
* अंग्रेजी लेखन
* बच्चे का मूल्यांकन

ड्राइंग पेंटिंग : 0.30 घंटा

शिक्षण अधिगम सामग्री

भाषा : 1. पाठ्य – पुस्तक
2. कार्य – पुस्तिका

गणित : 1. पाठ्य – पुस्तक
2. कार्य – पुस्तिका

अंग्रेजी : 1. पाठ्य – पुस्तक
2. कार्य – पुस्तिका
3. अंग्रजी लेखन पुस्तिका

भाषा, गणित एवं अंग्रेजी के बेहतर शिक्षण के लिये प्रयुक्त अन्य सहायक सामग्री।

fo'k"k if'k{k.k dUn ¼xjvkokl h;½ d cPpk dk ixfr dk vkdyu ,o l?kkj.kA

nfud izxfr

विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (गैरआवासीय) पर नामांकित प्रत्येक बच्चे के प्रतिदिन की उपलब्धि का लेखा–जोखा शिक्षा स्वयंसेवक द्वारा किया जायेगा। यह प्रगति विषय एवं पाठ – आधारित होगा। पाठ में दिये गये अभ्यास एवं कार्यपुस्तिका के आधार पर बच्चे के प्रगति का संधारण किया जायेगा। इस आधार पर शिक्षा स्वयंसेवक द्वारा प्रत्येक बच्चे के उपलब्धि–स्तर का ध्यान रखा जायेगा तथा उनकी खामियों को दूर किया जायेगा। कोशिश की जायेगी कि सभी बच्चे एकसमान उपलब्धि प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें। शिक्षा स्वयंसेवक द्वारा केन्द्र के बच्चों के उपलब्धि–स्तर को बढ़ाने हेतु नवाचारी गतिविधियों का उपयोग किया जायेगा।

lkIrkfgd izxfr

केन्द्र पर नामांकित प्रत्येक बच्चे का शनिवार को साप्ताहिक प्रगति का विश्लेषण किया जायेगा।

- साप्ताहिक प्रगति का लेखा–जोखा स्वयंसेवक के द्वारा किया जायेगा।
- स्वयंसेवक के द्वारा सप्ताह में पढ़ाये गये पाठों एवं कार्यपुस्तिका में कराये गये कार्यों के आधार पर भाषा, गणित एवं अंग्रेजी विषय का लिखित प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा।
- सप्ताहिक प्रगति के आकलन के लिये प्रश्नपत्र हस्त लिखित होगा एवं बच्चों के विषय आधारित नोट बुक पर होगा।
- प्रश्न पत्र के आधार पर केन्द्र के प्रत्येक बच्चे का विषयवार प्रगति की समीक्षा किया जायेगा।
- साप्ताहिक प्रगति के आधार पर प्रत्येक बच्चे की प्रगति विषयवार ग्रेड के रूप में केन्द्र पर प्रदर्शित प्रगति पत्रक में दर्ज की जायेगी।
- शिक्षा स्वयंसेवक के द्वारा प्रत्येक बच्चे की साप्ताहिक प्रगति से उनके अभिभावकों को बुलाकर अवगत कराया जायेगा।
- साप्ताहिक प्रगति पर आनेवाले व्यय का वहन केन्द्र आकस्मिकता मद से स्वयंसेवक के द्वारा किया जायेगा।

ekfld izxfr

- केन्द्र के बच्चों का मासिक प्रगति का संधारण विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा शिक्षकों के सहयोग से किया जायेगा।
- प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रथमतः माह में बच्चें द्वारा विषयवार सीखे गये पाठों की जानकारी प्राप्त की जायेगी तथा स्वयंसेवक को मासिक प्रगति की तिथि लिखित रूप से संसूचित कर दी जायेगी ।
- मासिक प्रगति के लिये निर्धारित तिथि की सूचना प्रधानाध्यापक द्वारा संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक को दी जायेगी जिससे उनके द्वारा स्वयंसेवकों के मासिक उन्मुखीकरण की तिथि मासिक प्रगति की समीक्षा की तिथि के बाद ही तय की जा सके।
- प्रधानाध्यापक द्वारा इस हेतु प्रश्न पत्र विद्यालय के शिक्षकों के सहयोग से कराये जायेंगे।
- तैयार प्रश्नपत्र के आधार पर केन्द्र के प्रत्येक बच्चे का विषयवार प्रगति विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों को अलग अलग उत्तर पुस्तिका जो एक या दो पन्नों का होगा पर किया जायेगा।
- प्रत्येक बच्चे के उत्तर पुस्तिका पर ही दक्षता के प्रश्न अंकित कर दिये जायेंगे या प्रश्न श्याम पट पर लिख दिये जायेंगे जिसे बच्चे अपने उत्तर पुस्तिका पर दर्ज कर लेंगे और उसका उत्तर अंकित करेंगे।
- बच्चों के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पाँच दिनों के अन्दर कर दिया जायेगा और बच्चों की प्रगति को एक चार्ट पेपर पर सप्ताहिक प्रगति की तरह ग्रेड के रूप में अंकित कर संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक को उपलब्ध करा दी जायेगी जिससे कि संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक उसका उपयोग स्वयंसेवकों के मासिक उन्मुखीकरण में कर सके और स्वयंसेवकों को आवश्यक निदेश दे सकें।

- मासिक प्रगति की उत्तर पुस्तिका विद्यालय में अथवा केन्द्र पर स्वयंसेवक के पास सुरक्षित रहेगी जिससे की अनुश्रवण के समय उसको देखा जा सके।
- संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक मासिक प्रगति के आधार पर स्वयंसेवकों के मासिक उन्मुखीकरण में चर्चा करेंगे एवं बच्चों की प्रगति के लिये आवश्यक सुझाव एवं कार्य करने का निदेश देंगे।
- मासिक मूल्यांकन के आधार पर शिक्षा स्वयंसेवक को केन्द्र संचालन की गतिविधियों के संबंध में आवश्यक परामर्श दिया जायेगा।
- संकुल स्तर पर आयोजित शिक्षा स्वयंसेवकों की मासिक उन्मुखीकरण में केन्द्रवार मासिक प्रगति पर चर्चा की जायेगी।
- मासिक मूल्यांकन पर आनेवाले व्यय का वहन केन्द्र आकस्मिकता मद में प्रावधानित राशि से किया जायेगा।

=ekfld çxfr %

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये छात्र प्रगति–पत्र के आधार पर।

l=kr ikxfr

- केन्द्र संचालन की अवधि समाप्त होने के अवसर पर प्रत्येक बच्चे का सत्र प्रगति विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय के शिक्षकों के देखरेख में कराया जायेगा।
- इस हेतु भाषा, गणित एवं अंग्रेजी विषय के विषयवार प्रश्न पत्र तैयार किये जायेंगे।
- प्रश्न पत्र प्रयास पाठ्य पुस्तक आधारित होगा।
- सत्र प्रगति के लिये संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा तिथि निर्धारित की जायेगी एवं इसकी सूचना शिक्षा स्वयंसेवक को लिखित रूप से दी जायेगी।
- निर्धारित तिथि को बच्चों का मूल्यांकन किया जायेगा।
- बच्चों के प्रगति का आकलन विषय के अतिरिक्त ड्राइंग पेंटिंग खेल–कूद एवं अन्य गतिविधियों में बच्चों के समग्र व्यक्तित्व के विकास को ध्यान में रखकर किया जायेगा।
- प्रगति के एक सप्ताह के अन्दर बच्चों का प्रगति–पत्रक प्रधानाध्यापक के द्वारा उनके अभिसभावकों की उपस्थिति में प्रकाशित किया जायेगा।
- प्रगति–पत्रक के प्रकाशन में प्रत्येक बच्चे के लिये यह अवश्य अंकित किया जायेगा कि उसकी दक्षता किस कक्षा के स्तर की है और उसका नामांकन विद्यालय के किस कक्षा में कराया जाना सर्वाधिक उपयुक्त होगा।
- प्रगति–पत्रक के आधार पर प्रत्येक बच्चे को एक प्रमाणपत्र दिया जायेगा।
- प्रमाणपत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं केन्द्र के स्वयंसेवक के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा।
- सत्र प्रगति तथा बच्चों का प्रमाणपत्र तैयार करने पर आनेवाला व्यय केन्द्र शिक्षण अधिगम उपकरण मद में प्रावधानित राशि से किया जायेगा

lrr ,o 0;kid eY;kdu

- उपर्युक्त सभी मूल्यांकन सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर होगा। उपर्युक्त मूल्यांकन को संबंधित विद्यालय में बच्चों के प्रगति–पत्रक में भरा जायेगा।

cPpk dk e[;/kkjk l tkMuk **(Mainstreaming)**

- सत्रांत प्रगति आकलन के आधार पर केन्द्र के प्रत्येक बच्चे की नियमित उपस्थिति विद्यालय के निर्धारित कक्षाओं में कराया जायेगा।
- केन्द्र के प्रत्येक बच्चे का विद्यालय की मुख्यधारा में जोड़ने के उपरांत विद्यालय प्रधान इन बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं दक्षता उपलब्ध कराने के लिए जबावदेह होगे।

- विद्यालय में नामांकन किसी भी माह में केन्द्र का सत्र समापन के अनुरूप कराया जायेगा। इसके लिये विद्यालय के नये सत्र का इंतजार नहीं किया जायेगा।
- विद्यालय में नामांकन संबंधी कार्य को किसी पदाधिकारी, कर्मी, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक द्वारा किसी भी परिस्थिति में व्यवाधानित नहीं किया जायेगा।
- बच्चों को विद्यालय की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य विद्यालय में उत्सव आयोजित कर किया जायेगा। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्य, माता समिति के सभी सदस्य, शिक्षा स्वयंसेवक, पंचायत के मुखिया एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे। उत्सव का आयोजन प्रधानध्यापक द्वारा विद्यालय एवं शिक्षा समिति के सहयोग से किया जायेगा।
- केन्द्र के सभी बच्चों को विद्यालय की मुख्यधारा से जोड़े जाने के साथ केन्द्र की सभी सामग्री विद्यालय में चली जायेगी।

foÙkh; izc/ku

विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (गैर आवासीय) के लिए राशि का प्रावधान निम्नवत् होगा–

STRN FOR FRESH CHILDREN (As Per BUDGET)

FOR 9 MONTH (FRESH)

Expenditure for runing prayas will be as : for the centre of 15 childrens

S.N	Items	unit cost in Rs.	Total cost in Rs.
1	Rmuneration of special teacher	3000/month for 9 month	27000
2	Training of teacher (residential)	200/days for 14 days	2800
3	Equipment for centre	1000/ centre	1000
4	teaching learning material	500/child for 15 children	7500
5	contingency	1000/ centre	1000
6	Total		**39300**
	per /child/ 9 Month		2620

FOR 6 MONTH (FRESH)

Expenditure for runing prayas will be as : for the centre of 15 childrens

S.N	Items	unit cost in Rs.	Total cost in Rs.
1	Rmuneration of special teacher	3000/month for 6 month	18000
2	Training of teacher (residential)	200/days for 7 days	1400
3	Equipment for centre	1000/ centre	1000
4	teaching learning material	500/child for 15 children	7500
5	contingency	1000/ centre	1000
6	Total		**28900**
	per /child/ 6 Month		1927

STRN FOR Cont. CHILDREN

FOR 6 MONTH (Cont.)

Expenditure for runing prayas will be as : for the centre of 15 childrens

S.N	Items	unit cost in Rs.	Total cost in Rs.
1	Rmuneration of special teacher	3000/month for 6 month	18000
2	Equipment for centre	500/ centre	500
3	contingency	500/ centre	500
4	Total		**19000**
5	per /child/ 6 Month		1267

- fo'k"k çf'k{k.k dUæ ¼xj vkoklh;½ ds [kkrs dk lapkyu fo|ky; f'k{kk lfefr@fo|ky; çca/ku lfefr ds leku gksxkA
- fo'k"k çf'k{k.k dUæ ¼xj vkoklh;½ dh jkf'k fo|ky; f'k{kk lfefr@fo|ky; çca/ku lfefr ds [kkrs esa nh tk;sxhA
- f'k{kdksa }kjk fo'k"k çf'k{k.k lapkfyr djus dh fLFkfr esa çfr cPpk #i;k 150 çfrekg dh nj ls vf/kdre #i;s &1000@& ns; gksxkA 6 ls vf/kd cPpksa dks fo'k"k çf'k{k.k nsus dh fLFkfr esa Hkh mUgsa ek= #i;s &1000@& gh ns; gksxkA

- fcuk jkf'k iklr gq, dsUns ikjEHk djus dh dkjokbZ dnkfi ugha dh tk;sxhA
- f'k{kk Lo;alsod }kjk fo'k"k çf'k{k.k lapkfyr djus dh fLFkfr esa mUgsa #i;s 3000@& çfr ekg dh nj ls ns; gksxkA
- केन्द्र संचालन पर किये जानेवाले व्यय का लेखा संधारण विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा और निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जायेगा।
- <u>राशि का व्यय मार्गदर्शिका में निर्धारित मापदंड के अनुसार किया जायेगा। राशि का व्यय मार्गदर्शिका में निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं किये जाने की स्थिति में इसे प्रधानाध्यापक के वेतन से वसूली जायेगी।</u>
- शिक्षक/स्वयंसेवक के मानदेय का भुगतान प्रतिमाह बैंक खाता के माध्यम से किया जायेगा।
- स्वयंसेवक के नियोजन के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किये बगैर चयनित किये गये स्वयंसेवक के मानदेय पर व्यय की गयी राशि प्रधानाध्यापक से वापस करायी जायेगी।
- बच्चों के लिये निर्धारित शिक्षण अधिगम सामग्री की राशि को मार्गदर्शिका में तय किये गये सामग्रियों के तय प्रक्रिया को अपनाकर क्रय करने पर किया जायेगा।
- शिक्षण अधिगम उपकरण की राशि इसके लिये निर्धारित सामग्रियों के क्रय पर व्यय की जायेर्गी।
- शिक्षण अधिगम सामग्री एवं शिक्षण अधिगम उपकरण मद में निर्धारित राशि से निर्धारित सामग्रियों का क्रय केन्द्र प्रारम्भ होने के पूर्व ही कर लिया जायेगा। केन्द्र प्रारम्भ होने के बाद सामग्री का क्रय कदापि नहीं किया जायेगा।
- <u>केन्द्र आस्मिकता मद में निर्धारित राशि से विद्यालय द्वारा बच्चों के लिये पेय जल सुविधा यथा – बाल्टी, जग, ग्लास एवं कक्ष की सफाई के लिये झाड़ू का क्रय किया जायेगा एवं शेष राशि डस्टर, चॉक, बच्चों के सप्ताहिक, मासिक मूल्यांकन हेतु प्रश्नपत्र तैयार करने, छात्र प्रगति पत्रक एवं चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करने के लिये उपयोग हेतु चार्ट पेपर के क्रय पर आनेवाले व्यय के वहन के लिये शिक्षक/स्वयंसेवक को उपलब्ध करा दी जायेगी।</u>
- सत्र मूल्यांकन के लिये प्रश्नपत्र तैयार करने में आनेवाले व्यय का वहन केन्द्र अधिगम उपकरण मद में प्रावधानित राशि से किया जायेगा एवं राशि प्रधानाध्यापक द्वारा व्यय की जायेगी।
- केन्द्र संचालन के लिये प्राप्त राशि के व्यय का अभिलेख विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा संधारित किया जायेगा एवं किसी प्रकार के गलत व्यय होने की स्थिति में प्रधानाध्यापक ही इसके लिये दोषी माने जायेंगे।
- केंद्र संचालन हेतु विद्यालय को दिये गये अग्रिम के विरूद्ध नियमानुसार किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में केंद्र की अवधि पूर्ण होने के 15 दिन पूर्व विद्यालय प्रधान द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से निश्चित रूप से समर्पित किया जायेगा।

<u>vuJo.k rFkk vuqleFkZu</u>

- केन्द्र का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन का कार्य निम्नवत किया जायेगा –
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) –प्रतिमाह कम से कम 5 केन्द्र।
- पहुँच एवं विशेष प्रशिक्षण के जिला समन्वयक – प्रतिमाह कम से कम 10 केन्द्र।

- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी – प्रतिमाह प्रखंड अन्तर्गत संचालित प्रत्येक केन्द्र।
- संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक – प्रति सप्ताह संकुल अन्तर्गत संचालित प्रत्येक केन्द्र।
- इसके अतिरिक्त राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी अपने जिला भ्रमण में उस जिला के कम से कम 5 केन्द्रों का अनुश्रवण अवश्य करेंगे।
- सही बच्चों का चयन/केन्द्र का नियमानकुल संचालन तथा दायित्व प्रबंधन के अनुश्रवण की जबावदेही बढ़ते हुए क्रम में निम्न पदाधिकारियों की होगी :

1- lcf/kr fo|ky; d ç/kkuk/;kid
2- ldy l lk/ku dUæ leUo;d
3- ç[kM f'k{kk inkf/kdkjh
4- odfYid ,o uokpkjh f'k{kk çHkkjh ,o
5- ftyk dk;Øe inkf/kdkjh ¼çkjfHkd f'k{kk ,o lof'k{kk vfHk;ku½

- fo'k"k çf'k{k.k dUæ dh lEi.k tckongh ftyk f'k{kk inkf/kdkjh dh gkxhA

केन्द्र के अनुश्रवण के दरम्यान केन्द्र से संबंधित अन्य बिन्दुओं के साथ – साथ निम्न बिन्दुओं पर पूर्ण ध्यान केन्द्रित किया जायेगा एवं संबंधित जानकारी प्राप्त की जायेगी।

- केन्द्र प्रारम्भ करने के पूर्व जिला एवं प्रखंड के निदेश पर केन्द्र प्रारम्भ करने हेतु विद्यालय द्वारा सूचीबद्ध किये गये लक्ष्य समूह के बच्चे केन्द्र पर नामांकित हैं।
- केन्द्र पर नामांकित बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय तथा अन्य शिक्षा स्थलों पर नामांकित हैं।
- केन्द्र पर नामांकित बच्चों में से कितने केन्द्र के लिये निर्धारित लक्ष्य समूह के उम्र से नीचे के हैं।
- केन्द्र संचालित करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यवाही एवं निर्णय।
- केन्द्र संचालन के लिये स्वयंसेवक के चयन में मार्गदर्शिका में निर्धारित निदेशों का अनुपालन किया गया है एवं पूर्ण पारदर्शिता बरती गयी है।
- केन्द्र शिक्षण अधिगम उपकरण एवं छात्र शिक्षण अधिगम सामग्री मद में निर्धारित राशि का व्यय मार्गदर्शिका में निर्धारित निदेशों के आलोक में किया गया है।
- स्वयंसेवक का प्रशिक्षण एवं केन्द्र पर मार्गदर्शिका एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल की उपलब्धता, केन्द्र प्रबंधन एवं बच्चों के शिक्षण में उसका उपयोग।
- केन्द्र पर बच्चों की उपस्थिति।
- केन्द्र पर स्वयंसेवक की उपस्थिति।
- केन्द्र आकस्मिकता मद का व्यय मार्गदर्शिका के निर्धारित निदेशों के आलोक में किया गया है।
- बच्चों का साप्ताहिक, मासिक मूल्यांकन की स्थिति एवं उसका प्रयास केन्द्र के सफल संचालन हेतु उपयोग।
- बच्चों के भाषा, गणित एवं अग्रेजी की दक्षता का विकास।
- मुख्यधारा में जोड़े जाने की स्थिति में बच्चों का विद्यालय में कक्षावार नामांकन की स्थिति
- उपचारात्मक शिक्षक के नियोजन में अपनाई गयी प्रक्रिया एवं उपचारात्मक शिक्षक के लिये निर्धारित दायित्वों का अनुपालन।

- विद्यालय में नामांकन कराये गये बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति एवं उसकी दक्षता का विकास।

अपने अनुश्रवण के दरम्यान सभी पदाधिकारी/कर्मी केन्द्र पर पायी गयी अनियमितता को प्रथमतः अपने स्तर से दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि अनियमितता बड़े पैमाने की है तो इसकी सूचना संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) को एवं राज्य को सीधे देंगे। अनुश्रवणकर्त्ता के प्रतिवेदन पर जिला तथा राज्य के स्तर से कार्रवाई अवश्य की जायेगी। केन्द्र का सफल संचालन एवं विद्यालय से बाहर के बच्चों का पूर्ण आच्छादन जिला स्तर से इसके सफल योजना–निर्माण पर निर्भर करता है। जिला स्तर पर योजना–निर्माण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) के निदेशन में पहुँच एवं विशेष प्रशिक्षण समन्वयक द्वारा किया जाना है। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के संचालन की पूरी जवाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) एवं पहुँच एवं विशेष प्रशिक्षण समन्वयक की होगी।

योजना का मूल्यांकन राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी पहुँच एवं विशेष प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं संकुल स्तर पर संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा विद्यालय स्तर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय प्रबंधन समिति की होगी।

çi= Þdß

y{; & leg lphdj.k çi=

(8 – 10 आयु – समूह के विद्यालय से बाहर के बच्चों को सूचीबद्ध करने हेतु)

जिला................................ प्रखंड का नाम .... संकुल का नाम ....

विद्यालय का नाम ....

Ø- l-	ckyd@ckfydk dk uke	ekrk dk uke	firk dk uke	irk	me	fyax	dkfV	ukekadu Øekad	ukekadu frfFk	me lkis{k d{kk ftles ukekfdr g	orZeku esa cPps lykbu VsLV dk vuqlkj fdl d{kk dh n{krk g\	vfHk;qfDr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

UkkV %&

1. कॉलम 4 में गांव /वार्ड/टोला को अंकित करें।
2. कॉलम 6 में बालक के लिए dk* बालिका के लिए *dh* का प्रयोग करें।
3. कॉलम 7 में लक्ष्य – समूह की जाति, यथा – अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, सामान्य अंकित करें।
4. यदि बच्चा किसी विशिष्ट श्रेणी,, यथा बाल–श्रमिक, दीनी मकतब में पढ़नेवाला, सेक्स वर्कर, कार्य की तलाश में अन्यत्र जानेवाले परिवार या घुमंतू परिवार का है तो dkye 12 ë श्रेणी के अनुसार बाल–श्रमिक, दीनी मकतब, सेक्स वर्कर्स का बच्चा, बाहर कार्य करनेवाले परिवार का बच्चा एवं घुमंतू परिवार का बच्चा अंकित करें। यदि बच्चा इसमें से किसी श्रेणी का नहीं है तो कॉलम 12 खाली छोड़ दें।

शिक्षक का नामः

ह0

fnukad

i i= Þ[kß

lgefr i=@i o'k vkonu i i=

l dy l l k/ku dUn dk uke--

e/; fo|ky; dk uke---
ckyd@ckfydk dk uke &

ekrk dk uke &

firk dk uke &

vfHkkHkkod dk uke & ¼;fn ekrk] firk ugh gk rk ½&

tUe&frfFk ¼vdk e½ ----------------------------- 'kCnk e ---

LFkk;h irk ---

dkfV % --

firk@ekrk@vfHkkHkkod }kjk ?kk"k.kk %

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपने पुत्र/पुत्री को वि ोश प्रि ाक्षण केंद्र(गैर आवासीय) पर पूरी अवधि के लिये पढ़ने भेजॅूगा/भेजॅूगी एवं इस दौरान बीच में अध्ययन में व्यवधान नहीं डालूँगा/डालूँगी। प्रयास केन्द्र में वांछित दक्षता प्राप्त करने के उपरान्त अपने पुत्र/पुत्री को आगे भी विद्यालय में नियमित रूप से भेजॅूगा/भेजॅूगी। मेरा पुत्र/पुत्री अनामांकित/छिजित है। यह वर्तमान में किसी विद्यालय अथवा किसी केन्द्र पर अध्ययनरत नहीं है। इसकी उम्र .... वर्ष है।

ekrk dk gLrk{kj

fo|ky; d i/kkuk/;kid }kjk ?kk"k.kk %

प्रमाणित किया जाता है कि .... माता श्रीमती .... पिता श्री ....किसी विद्यालय अथवा किसी वि ोश प्रि ाक्षण केंद्र(गैर आवासीय) में नामांकित नहीं है तथा शिक्षा से पूर्णतः वंचित है।

fnukd

LFkku

gLrk{kj o egj
lk/kkuk/;kid
fo|ky; dk uke

ukV %

- प्रयास केन्द्र के लिये सूचीबद्ध प्रत्येक बच्चे का सहमति पत्र/ प्रवेश आवेदन पत्र भरवाया जायेगा।
- प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि इसमें अंकित सूचनाओं तथा आधरभूत सूचना प्रपत्र की सूचनाओं में भिन्नता नहीं हो।
- सहमति पत्र विद्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा।

i=i= Þxß

¼f'k{kk Lo;alsod p;u i=½

विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक संख्या—————— दिनाक ————————— के द्वारा .... माह के लिये वि ोश प्रि ाक्षण केंद्र(गैर आवासीय) संचालित करने का निर्णय लिया गया है। विशेष प्रि ाक्षण केंद्र(गैर आवासीय) के संचालन के लिये लक्ष्य समूह के विशेष प्रशिक्षण की आव यकता वाले बच्चों को चिह्नित कर सूचीबद्ध कर लिया गया है एवं इसकी सूचना जिला को प्रेषित की गयी है। केन्द्र संचालन हेतु जिला से राशि भी प्राप्त हो गयी है। वि ोश प्रि ाक्षण केंद्र(गैर आवासीय) के संचालन के लिये स्थल प्रा0 वि0/उ0म0वि0/म0वि0 विद्यालय ——————————, प्रखंड ——————————— है। वि ोश प्रि ाक्षण केंद्र (गैर आवासीय) का संचालन स्वयंसेवक के माध्यम से करने का निर्णय है। विद्यालय प्रबंधन समिति के निर्णय के आलोक में स्वयंसेवक के चयन संबंधी कार्रवाई मार्गदि िका में निहित निदे ा के आलोक में पाँच सदस्यीय समिति द्वारा की गयी है।

विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा लिये गये निर्णय एवं पाँच सदस्यीय समिति की अनु ांसा के आलोक में श्री / श्रीमती —————————————————— पिता/ पति ————————————

कोटि ——————————— ग्राम ——————————————— पो0 ——————————————— पंचायत ———————————— प्रखंड ——————————————— को वि ोश प्रि ाक्षण केंद्र (गैर आवासीय) —————————विद्यालय ——————————————————— के लिये स्वयंसेवक के रूप में केन्द्र की पूरी अवधि, जो .... माह के लिये निर्धारित है, के लिये 3000रु. प्रतिमाह के मानदेय पर चयनित किया जाता है। केन्द्र की निर्धारित अवधि की समाप्ति के साथ ही श्री / श्रीमती ———————————— की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी। इस चयन के आधार पर श्री / श्रीमती —————— ———————————— के द्वारा किसी सरकारी सेवा के लिये दावा नहीं पे ा किया जायेगा और मान्य नहीं होगा।

g0

iz/kkuk/;kid

izFkfed@ e/; fo|ky; &&&&&&&&&&

g0

v/;{k] fo|ky; f'k{kk lfefr

izFkfed@e/; fo|ky; &&&&&&&&

i;i= Þ?kß

¼lkIrkfgd i;xfr i=d pkV½

विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (गैरआवासीय) का नामः .... विद्यालय का नाम ....

प्रारम्भ की तिथि ....   संकुल का नाम ....

प्रखंड ....

Hkk"kk

क्र०सं०	बालक / बालिका का नाम	प्रारम्भिक दक्षता	प्रथम सप्ताह	2रा सप्ताह	3रा सप्ताह	4था सप्ताह	5वां सप्ताह	6ठा सप्ताह	7वां सप्ताह
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10

xf.kr

क्र०सं०	बालक / बालिका का नाम	प्रारम्भिक दक्षता	प्रथम सप्ताह	2रा सप्ताह	3रा सप्ताह	4था सप्ताह	5वां सप्ताह	6ठा सप्ताह	7वां सप्ताह
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10

ukV %

- केन्द्र पर नामांकन के प्रथम दिन स्वयं सेवक के द्वारा सभी बच्चों के प्रारम्भिक दक्षता की जॉच की जायेगी।
- प्रारम्भिक दक्षता की जाँच निर्धारित टूल्स के आधार पर की जायेगी।
- भाषा एवं गणित की दक्षता को चार्ट पर निम्नवत प्रदर्शित किया जायेगा।

भाषा – कुछ नहीं,, अक्षर पहचानना, पढ़ना तथा लिखना, मात्रा पहचानना, पढ़ना तथा लिखना, शब्द पढ़ना तथा लिखना, वाक्य पढ़ना तथा लिखना, कहानी समझकर पढना तथा लिखना।

गणित – कुछ नहीं, 1 से 10 तक की संख्या को पहचानना तथा लिखना, 1 से 20 तक की संख्याओं को पहचानना तथा लिखना, 1 से 100 तक की संख्याओं को पहचानना तथा लिखना, दो अंकों का जोड़ करना बिना हासिल तथा हासिल के साथ, दो अंकों का घटाव करना बिना हासिल तथा हासिल के साथ।

अंग्रेजी – भाषा एवं गणित की तरह ही अंग्रेजी के लिये भी प्रगति चार्ट तैयार कर केन्द्र पर प्रदर्शित किया जायेगा।

Ikki= Þpß

¼y{; & leg vk/kkjHkr lpuk i i=½

(CHILDWISE PROFILE)

1. ckyd@ckfydk dk uke ....

2. tUe&frfFk ....

3. dkfV

   (क) अनु0 जाति

   (ख) अनु0 जनजाति

   (ग) पिछड़ा वर्ग

   (घ) अल्पसंख्यक

   (च) सामान्य

4. ekrk dk uke ....

5. firk dk uke ....

6. vfHkHkkod dk uke.(यदि माता, पिता नहीं हों तो) ....

7. ifjokj dk 0;olk; :

   (क) कृषि

   (ख) मजदूरी (कृषि–आधारित)

   (ग) मजदूरी (गैर कृषि–आधारित)

   (घ) व्यापारिक या अन्य पैतृक व्यवसाय में संलग्न

   (ङ) अन्य (व्यवसाय का नाम लिखें)

8. (क) विवाहित (ख) अविवाहित

9. 'k{kf.kd fLFkfr – (यदि छीजित है तो किस कक्षा में छीजन हुआ ?)

   (क) अनामांकित

   (ख) छीजित

10. Nhtu dk dkj.k :

(क) शादी

(ख) बीमारी

(ग) मजदूरी या अन्य आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ना

(ध) भाई–बहन की देखभाल व अन्य घरेलू कार्य

(ङ) परिवार के साथ कार्य हेतु अन्यत्र पलायन करना

(च) परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होना

(छ) शैक्षिक सुविधा का अभाव

(ज) सामाजिक परिस्थितियों के कारण

(झ) दीनी मकतब में पढ़ना

(ट) अन्य (कारण अवश्य लिखें)

11- ifjokj dh 'kf{kd fLFkfr : (माता, पिता एवं मात्र 6–14 आयुवर्ग के भाई–बहन से संबंधित सूचना दें)

पिता – माता – बहन – भाई –

(शैक्षिक स्थिति में (क) निरक्षर (ख) साक्षर (ग) 5वीं (घ) 8वीं (ङ) 10वीं (च) इंटर (छ) स्नातक में से जो उचित हो अंकित करें)

f'k{kk Lo;a lsod dk gLrk{kj

ukV %

- प्रयास केन्द्र के लिये सूचीबद्ध प्रत्येक बच्चे की आधारभूत सूचना child profile तैयार की जायेगी।
- आधारभूत सूचना प्रपत्र में बच्चे के संबंध में सूचना सही – सही जानकारी प्राप्त कर भरी जायेगी।
- माता – पिता के नहीं होने की स्थिति में ही अभिभावक के संबंध में सूचना अेकित किया जायेगा।
- बच्चा के जन्म तिथि भरने में जानकारी का अभाव हो सकता है, इसलिये पूरी जानकारी प्राप्त कर जन्म तिथि भरना श्रेयश्कर होगा।
- केन्द्र पर नामांकित प्रत्येक बच्चा का आधारभूत सूचना केन्द्र पर संचिका में संधारित रहेगा।

çi= ÞNß

¼ekfld eY;kdu i:i=½

प्रयास केन्द्र का नाम -- केन्द्र प्रारंभ की तिथि --

विद्यालय का नाम ---संकुल का नाम .... प्रखंड का नाम ....

मूल्यांकन का माह एवं तिथि ....

क्र. सं.	बालक / बालिका का नाम	भाषा में प्राप्त ग्रेड	गणित में प्राप्त ग्रेड	अंग्रेजी में प्राप्त ग्रेड

ह0 प्रधानाध्यापक

ukV%

1. मूल्यांकन प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक माह किया जायेगा।
2. मूल्यांकन हेतु प्रश्न – पत्र, निर्धारित पाठ्यपुस्तकों, पाठ्य – सामग्री एवं मूल्यांकन के माह तक किये गये कार्यों के आधार पर तैयार किये जायेंगे।
3. मूल्यांकन हेतु ग्रेड मार्गदर्शिका में वर्णित निदेश के अनुसार दिये जायेंगे।
4. मासिक मूल्यांकन के कम में प्रधानाध्यापक यदि पाते हैं कि केन्द्र पर माह में कार्य कम हुआ है तो शेष कार्य को पूरा करने हेतु आवश्यक लिखित निदेश केन्द्र के स्वयंसेवक को निर्गत करेंगे एवं कार्य पूरा हुआ या नहीं इसका लगातार अनुश्रवण करेंगे। निदेश का अनुपालन नहीं करने वाले स्वयंसेवक पर कार्रवाई भी करेंगे, जो उन्हें केन्द्र से मुक्त करने तक हो सकता है।
5. मासिक मूल्यांकन – प्रतिवेदन, निर्धारित प्रपत्र में संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक को आवश्यक रुप से भेजे जायेंगे।
6. सभी मूल्यांकन सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा ताकि बच्चों पर बोझ न पड़े।

çi= þtß

¼l= eY;kadu i=½

प्रयास केन्द्र का नाम -- केन्द्र प्रारंभ की तिथि ---------------------

संकुल का नाम .... प्रखंड का नाम ....

मूल्यांकन की ˙ तिथि ....

क. सं	बालक / बालिका का नाम	भाषा में प्राप्त ग्रेड	गणित में प्राप्त ग्रेड	अंग्रेजी में प्राप्त ग्रेड	समान्य विकास में प्राप्त ग्रेड	कक्षा जिसमें नामांकन की अनुशंसा है
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.

g0

lady lalk/ku dsUnz leUo;d

ukV %

1. सत्रवार मूल्यांकन संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा किया जायेगा।
2. मूल्यांकन विषय आधारित तथा छात्रों के समान्य विकास दोनों प्रकार का होगा।
3. मूल्यांकन हेतु प्रश्न – पत्र तैयार करने में निर्धारित पाठ्यपुस्तक, पाठ्य – सामग्री आदि का ध्यान रखा जायेगा।
4. प्रत्येक विषय के लिये लिखित मूल्यांकन ग्रेड पर आधरित होगा जिसका विवरण मार्गदर्शिका दिया गया है।
5. समान्य विकास में मौखिक मूल्यांकन तथा व्यक्तित्व विकास, अच्छी आदतें, शिक्षकेतर गतिबिधियों आदि के लिये भी किया जायेगा।
6. केन्द्र पर सत्र समाप्त होने के 5 दिन पूर्व सत्र मूल्यांकन के लिये सूचना स्वयंसेवक के द्वारा प्रधानाध्यापक के माध्यम से संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक को दी जायेगी। संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक की यह जवाबदेही होगी कि वह निर्धारित समय पर सत्र मूल्यांकन करे।
7. मूल्यांकन में बच्चों को विद्यालय के किस कक्षा में नामांकन योग्य छात्र तैयार है इसकी अनुशंसा की जायेगी।

izi= Þ>ß

विशेष प्रशिक्षण केंद्र(गैर आवासीय) प्रमाण–पत्र)

o"kZ ....

प्रमाणित किया जाता है कि कु ./कुमारी ....सुपुत्र/सुपुत्री.. ....जन्म–तिथि .... कोटि .... गाँव .... प्रखंड .... जिला .... ने संकुल .... प्रखंड .... के प्राथमिक / मध्यविद्यालय .... में संचालित विशेष प्रशिक्षण केंद्र(गैर आवासीय) में दिनांक ....से दिनांक................................तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। सत्र मूल्यांकन के आधार पर इन्होंने कक्षा .... तक की दक्षता प्राप्त की हैं। यह अग्रिम कक्षा .... में प्रवेश की पात्रता रखते/रखती हैं।

हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

fnukad --------------

LFkku ----------------

g0 iz/kkuk/;kid

e/; fo|ky; -------------------- ladqy -------------------------------------- iz[kaM -----------------------